(610)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर समक्ष एम.के. सिंह सदस्य महोदय

प्र. क्रं. 1781/1/2013, निग -1411- 16-

1- मुमताज फातमा पुत्री मोहम्मद अकील

2- मोह. असदउलहक पुत्र मो. अकील

3- मोह. जियाउलहक पुत्र मो. अकील

4- गजनफर पुत्र मोह. अकबर सभी निवासी शहजानाबाद भोपाल म.प्र. ---आवेदकगण

बनाम

1-मोह. सोयेब पुत्र स्व.श्री मोहम्मद अकबर

2- जैनब बी पत्नि मोह. अकबर स्व.

3- तुश्रीसलमा पुत्री मोह. अकबर निवासीगण अंदर किला विदिशा

4- निकहत पुत्री मोह. अकबर निवासी शहजानाबाद भोपाल ----------------अनावेदकगण

दिनांक 5-5-16 को श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव अभि. द्वारा प्रस्तुत

5-5-16

अशोक कुमार श्रीवास्तव

आवेदन पत्र न्यायालय राजस्व मंडल के प्र.क्रं. 1781/एक/2013 विरूद्ध आदेश 7-4-16 मोह. सोयेब विरूद्ध मुमताज फातमा को पुर्नविचार हेतु भू.राजस्व संहिता की धारा 51 के अंदरगत समयसीमा मे पुर्नविचार आवेदन पेश है ।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

1- यह कि अनावेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय मे अपर कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्र.क्रं. 166/7-8 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 29-4-13 के विरूद्ध निगरानी पेश की गई थी ग्राम मुंगवारा स्थित सर्वे नंबर 160, 194, 201, 260, 291, 293, 294, 587, 597, 610, 658, कुल रकबा 15.123 है. का खाता मोहम्मद अकबर मोह. असदउलहक, मो. जियाउलहक पुत्रगण मो. अकील एवं सुल्तान फातमा बेवा मोह. अकील, ममुताज फातमा, पुत्री मोह. अकील के नाम समान भाग पर भूमियां शासकीय अभिलेख मे दर्ज थी मोह. अकबर की मृत्यु पर उसके वारिशान के नाम फौती नामांतरण, नामांतरण पंजी क्रं. 11 आदेश दिनांक 27-2-94 पर दर्ज कर सजरा अनुसार नामांतरण कराने हेतु सजरा पेश किया था जिसमे मोह. अकबर के पुत्र 1- मुज्जफर अली 2- गजेन्द्रफर अली, 3- सोयेब अली एवं पुत्रियां सबल बी, परत बी, सलमा बी, नखत बी, एवं मोह. अकबर की बेवा कल्लो बी. का सजरा पेश कर नामांतरण चाहा था जिसे तहसील

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-1411-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.18	1/ प्रकरण का अवलोकन किया। यह रिव्यु इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1781-एक/2013 में पारित आदेश दिनांक 07.04.16 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मुंगवारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 160, 194, 201, 260, 291, 293, 294, 587, 597, 610, 658 कुल किता 11 कुल रकबा 15.123 हे. मो. अकवर, मो. असल उल हक, जिया उल हक, पुत्रगण मो. अकील एवं मो. सुल्तान, फातिमा बेवा मो. अकील, मुमताज फातिमा पुत्री मो. अकील के नाम समान भाग पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है। मो. अकबर की मृत्यु पर उसके वारिसान के नाम नामांतरण किए जाने हेतु पटवारी ने ग्राम की नामांतरण पंजी के सरल क्र. 7 पर प्रविष्टि अंकित की, जिसे ग्राम पंचायत मुंगवारा विकासखंड ग्यारसपुर ने दिनांक 13.10.1997 को प्रमाणित किया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के समक्ष अपील पेश की गई। जिसमें उनके आदेश दिनांक 19.12.2007 द्वारा नामांतरण निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया। जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 29.04.2013 द्वारा निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जो तत्कालीन सदस्य ने अपने आदेश दिनांक 07.04.16 द्वारा स्वीकार किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किए एवं ग्राम पंचायत मुंगवारा का आदेश दिनांक 13.10.1997 स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरुद्ध यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

गए हैं कि आवेदक ने मो. अकबर द्वारा विक्रय किए गए बयनामे पेश किए थे एवं मो. अकबर के पुत्र मो. गजेन्द्रफर का न्यायालयीन कथन पेश किया था जिसके आधार पर विवादग्रस्त भूमियों पर मो. अकबर का ही अधिकार नहीं था। इस कारण उनके उत्तराधिकारी को भी कोई अधिकार नहीं बचता है इस बिन्दु पर माननीय न्यायालय ने विचार नहीं किया है इसलिए आदेश दिनांक 07.04.2016 निरस्त किया जाना आवश्यक है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद में पेश किए गए दस्तावेज में मुमताज फातिमा पक्षकार नहीं है इसलिए आदेश में अंकित न्यायदृष्टांत उस पर लागू नहीं होते हैं इसलिए भी विवादग्रस्त आदेश पुर्नविचार योग्य है।

4/ अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि तत्कालीन सदस्य द्वारा निगरानी प्रकरण में पारित आदेश उचित न्यायिक एवं विधिसंगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। उक्त आधार पर यह रिव्यु प्रकरण निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में ग्राम मुंगवारा की नामांतरण पंजी संलग्न है जिसके सरल क्रमांक 7 पर प्रविष्टि दिनांक 13.10.97 पर सरपंच ग्राम पंचायत मुंगवारा ने नामांतरण प्रमाणित किया है। उक्त नामांतरण पंजी में किसी भी पक्षकार के सहमति या असहमति के हस्ताक्षर नहीं है एवं ग्रामीणों से अथवा अन्य स्त्रोत से मृतक के वारिसान की जानकारी नहीं ली गई है तथा नामांतरण प्रभावित करने के पूर्व ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव भी नहीं है एवं इश्तहार का प्रकाशन भी नहीं कराया गया है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाना आदेश से स्पष्ट होता है जो पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार है। परिणामतः यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-1411-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 07.04.2016 निरस्त करते हुए मूल प्रकरण निगरानी 1781-एक/13 पुन: सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उभयपक्ष सूचित हों। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	